

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।
जयपुर विकास प्राधिकरणभवन

क्रमांक: भू. अ. / नवि / 96 /

दिनांक:

विषय: - पृथ्वीराज नगर योजना की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम कल्याणपुरा की भूमि अवाप्ति ।

-: अ वा ड :-
 =====

मुकदमा नम्बर:

- 1- 241/88 2- 244/88 3- 246/88
 4- 247/88 5- ~~248/88~~ 6- 249/88
 7- 252/88



उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 §1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 4 §1 के तहत क्रमांक प6 §15 § नविआ/सस/87 दिनांक 6.1.88 जिसका गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 7.7.88 को हुआ ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 की विधि दिनांक 28.7.89 जारी की गई जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 31.7.89 को प्रकाशन हुआ । धारा 6 की अधिसूचना का दो दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 12.8.89 को हुआ, एवं नियमानुसार अवाप्ताधीन भूमि के आस-पास सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर में अवाप्ताधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है:-

मु. नं.	संसा नम्बर	रकबा बी. वि.	नाम धारितदार
1.	2.	3.	4.
241/88	22	02 - 02	नरेन्द्र बहादुर सिंह कोम राज. पुत्र रघुवीर सिंह सा. देह
	1/285	14 - 07	नरेन्द्र बहादुर सिंह पु. रघुवीर सिंह कोम राजपूत सा. देह राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर सांगानेरीगेट

1.	2.	3.	4.
241/88	1/268	16 - 00	ईशर लाल पु. धीराम कौम बागेल सा. गोपालपुरा
244/88	18	24 - 03	रामचन्द्र पुत्र भाई राम माली सा. देह
246/88	23	13 - 15	गोकुल चन्द श्रवणलाल पि. मोतीराम कुलचंद पुत्र धीलाराम सीताराम पुत्र मन्मथ कौम माली सा. देह
247/88	(24)	18 - 02	नारायण, भोलाराम, रामकरण पि. मंगला कौम जाट सा. देह
248/88	26	04 - 10	भीमसिंह एक. यु. एक. पुत्र रावत सिंह कौम
	27	00 - 12	राजपूत सा. जयपुर ।
	28	00 - 02	
	29	05 - 01	
	30	05 - 01	
	25/261	06 - 01	
255/88	25	17 - 10	भीमसिंह एक. यु. एक. पुत्र रावत सिंह कौम
			जाट सा. देह
249/88	30	00 - 02	महेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार आलोक कुमार पि. मुकुट बि. भार्गव सा. जयपुर
	32	07 - 09	
	25/262/1	04 - 03	
	25/262/2	00 - 17	
	31/263	04 - 09	
	32/281	02 - 10	
252/88	180	01 - 04	दूता, छोद, चन्दा, कौम माली सा. देह
	181	00 - 11	
	182	00 - 08	
	183	00 - 02	
	184	07 - 19	
	185	01 - 12	
	186	00 - 15	
	187	04 - 07	

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
गांधी विकास परियोजनाएं
जयपुर

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
गांधी विकास परियोजनाएं
जयपुर

मुकदमा नम्बर- 241/88

उक्त नम्बर - 22, 1/285, एवं 1/268- की धातेदारी नरेन्द्र महादुर सिंह कौम राजपूत पुत्र रघुवीर सिंह सा. देह उ. नं. 1/285 राहिन स्टेट बैंक आफ बांकोनेह एण्ड जयपुर सांगानेरीयेट के नाम वर्ज है । केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत धातेदारों को धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 11.12.89 एवं 25.3.91 को जारी किये गये ।

खतरा नम्बर 1/285 एवं 22 हेतु क्लेम दिनांक 29.12.89 को श्री रामचन्द्र शर्मा अभिभाषक ने नरेन्द्र सिंह बहादुर सिंह, प्रिन्सिपल श्री रघुबीर सिंह राजावा की तरफ से बेश किया। जो क्लेम बेश किया गया है उसके अनुसार वर्ष 88 की मार्केट रेट में बोटान्तकाल के 1500/- प्रति गज की दर से मुआवजा की मांग की गई। मिट्टी का डोना, प्रोबिडिबा, हरे, ईटों का शैल, सीमेंट बार्डव लाईन ईटों के धीरे, ईटों की होदिबा, बाटर जैक की एस्टीमेट कोस्ट 1,20,232/- कुआ, बिजली का बम्बेट कीमत 1,34,790/- वेड क्लेक्टिव के 10 वृक्ष 5000/- मिट्टी के डोने पर 1200 कूचे की कीमत 30,000/- इसके अतिरिक्त निम्नानुसार 12 प्रतिशत, 30 प्रतिशत 9 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत राशि की मांग की। मुकदमें पर दुरे टबब के बेटे 5 प्रतिशत, शिफ्टिंग चार्ज 20,000/- पर होने वाले खर्च के को मांग की गई। खातेदार को अन्य जगह भूमि खरीदनी पड़ेगी उसका बिकाल करना पड़ेगा। इस कारनाम में समय लगेगा इस अर्थ में मुआवजा की राशि पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा "लात आ" के कारण दिलाया जावे।

दिनांक 23.10.89 का तैयार किया गया मुकदमा नम्बर 244/88 केल्बेरेर का तकमीना नरेन्द्र बहादुर सिंह बुन प्रिन्सिपल रघुबीर सिंह का ख. नं. 22 एवं 1/285 का बेश किया गया जितने भूमि की कीमत मार्केट रेट से घाड़ी गई है। एवं कुल तकमीना 2,27,000/- बताया गया है।

उक्त क्लेम के तारे में जयपुर बिकाल प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि जो क्लेम बेश किया गया है वह बहुत ही अधिक बढ़ा-चढ़ा कर बेश किया गया है। क्लेम के बंध में कोई बुझता सबूत बेश नहीं किये गये हैं और बाजार दर के संबंध में भी कोई दरताकेजात बेश नहीं किये गये हैं। अतः उक्त सभी बात मानने योग्य नहीं है।

हम जबिदा अभिभाषक के उक्त कथन से सहमत हैं शार्थियों ने क्लेम बेश किया है उसके सबूत में कोई दरताकेजाती साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिए उक्त क्लेम मान्य नहीं है।

उक्त भूमि की अर्वाप्ति के विरुद्ध जो स्थान आदेश राज. उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था के विरुद्ध जबिदा द्वारा न्यायालय में अपील दाखल की गई थी जिसका निर्णय जबिदा/राज्य सरकार के बंध में दिनांक 22.4.96 को न्यायालय द्वारा दिया गया था। न्याय हित में क्लेम शार्थिना बन मांगने हेतु खातेदारी को नोटिस तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को प्रकाशन कराये गये लेकिन खातेदार की तरफ से कोई उपास्थित नहीं हुआ।

मुकदमा नम्बर- 244/88


खतरा नम्बर 18 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रामचन्द्र बुन नाथु राम माली ता. देह के नाम दर्ज है। के न्द्रीय भूमि अर्वाप्ति अधिनियम के तहत धारा 8 एवं 10 के नोटिस खातेदार को जारी किये गये हैं दिनांक 20.12.90 को जारी किये गये।

प्रमाणित प्रतिलिपि

भूमि अर्वाप्ति अधिकारी
शहर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

भूमि अर्वाप्ति अधिकारी
शहर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

दिनांक 3.6.91 को मुआवजा क्लेम अण्डर प्रोटेस्ट जी. प्रकृति प्रशासक अधिष्ठाता द्वारा बेश किया गया। प्राप्त क्लेम में मकान की कीमत 1 लाख 50 हजार 500/- रु. और 24 बीघा 03 बिस्वा की कीमत 72,45,000/- रु. के अलावा 23 बीघा 03 बिस्वा की कीमत 50,000/- रु. मकान की कीमत 6 लाख स्वयं बंधे धारा 23 मुआवजा क्लेम के अंतर्गत है। लाख स्वयं बंधे धारा 23 मुआवजा 82,55,000/- रु. का मुआवजा



उक्त भूमि के विरुद्ध वारित स्थान-आदेश की अपील जबिष्टा द्वारा करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 22.4.96 को फैला जबिष्टा राज्य सरकार के हक में दिया गया। खातेदारों को न्याय हित में दिनांक 28.5.96 को नोटिस जारी किये गये एवं तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में प्रकाशन कराया गया। दिनांक 14.6.96 को रामचन्द्र नानुराम की तरफ से एक प्रार्थना पत्र बेश किया गया जिसमें 30 दिवस का समय माँगा गया। लेकिन अबार्ड लिखाने तक कोई अन्य क्लेम प्राप्त नहीं हुआ।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिष्ठाता का कथन है कि जो क्लेम बेश किया गया है वह बहुत ही अधिक बढ़ा-घड़ा कर बेश किया गया है। क्लेम के दायरे में और बाजार दर के दायरे में कोई बुखता दस्तावेजात बेश नहीं किये गये हैं। इसलिए उक्त क्लेम मान्य योग्य नहीं है।

हम जयपुर विकास प्राधिकरण के उक्त कथन से सहमत हैं हमने क्लेम का अवलोकन किया और मद्रास जिले ज्ञात होता है कि क्लेम मनमाने तरीके से बनाकर बेश किया गया है जो मान्य नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ख.नं. 18 पर जो मकान बने हैं का तकमीना बेश किया गया जिसके अनुसार मकान की कीमत 147151 रु. एक लाख सेतालित हजार एक सौ इक्कावन मात्र का इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो मुआवजे राशि में देय है।

मुकदमा नम्बर 246/88

खतरा नम्बर 32 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार गोकुल चन्द, ब्रह्मणाल बि. सोतीराम कुल चन्द बं. धीलाराम, सीताराम पु. मनपुल कौम माली सा. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिष्ठाता अधिनियम के तहत धारा 9-10 के नोटिस खातेदारों को दिनांक 23.4.91 को जारी किये गये। दिनांक 4.6.91 को जारी उक्त भूमि अधिष्ठाता के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थान-आदेश की प्रतीति 12.6.91 को अशोक अग्रवाल द्वारा बेश की गई।

जबिष्टा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.4.96 को जबिष्टा/राज्य सरकार के हक में दिया गया। न्याय हित में खातेदारों को क्लेम बेश करने हेतु दिनांक 28.5.96 को नोटिस जारी किये गये। लेकिन कोई क्लेम बेश नहीं किया गया। दिनांक 13.6.96 को राजस्थान पत्रिका,

भूमि प्रकृति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

भूमि प्रकृति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ,
जयपुर

दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्रों में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया लेकिन अर्बाई लिखने तक कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ।



जयपुर बिकात प्राधिकरण द्वारा जो तकरीना खतरा नम्बर 23 पर/स्थित मकान का बेश किया गया है के अनुसार 101326/- एक लाख और छह हजार छह सित्त सठ मात्र का बेश किया गया है। एवं कुआ की कीमत 22747/- बाईस हजार सात सौ सेतलित सठ मात्र का बेश किया गया है जो मुआबजे में देय है।

मुकदमा नम्बर-247/88

खतरा नम्बर 24 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नारायण, भीलूराम, रामकरण वि मंगला ककीम जाट सा.देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिनिबम के तहत धारा 9-10 के नोटिस खातेदारों को दिनांक 19.12.89 को जारी किये गये एवं धारा 9-10 के नोटिस दिनांक 20.12.90 को भी जारी किये गये।

दिनांक 26.6.91 को अनील मेहता अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र बेश कर निवेदन किया गया कि रा.उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि अधिनिबम के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में जबिडा द्वारा अपील करने पर अपील का निर्णय जबिडा/राज्य सरकार के पक्ष में राज.उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 22.4.96 को दिया गया। न्याय हित में खातेदारों को क्लेम हेतु नोटिस तीन प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में कराया गया। लेकिन अर्बाई लिखने तक कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ।

मुकदमा नम्बर-249/88

खतरा नम्बर 30, 32, 31/263, 32/281, 25/262/2, 25/262/1 की खातेदारी धारा 6 के गजट के अनुसार महेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार, अलोक कुमार वि.सुकुट बिहारी भार्गव के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अधिनिबम के तहत धारा 9-10 के नोटिस खातेदारों को दिनांक 20.12.90 को जारी किये गये। दिनांक 7.6.91 को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पूर्ति अनील मेहता अभिभाषक द्वारा बेश की गई। जबिडा द्वारा मा.उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील करने पर निर्णय जबिडा/राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 22.4.96 को दिया गया। न्याय हित में खातेदार को दिनांक 28.5.96 को नोटिस बास्ते क्लेम जारी किया गया लेकिन खातेदार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तीन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

पूर्व में दिनांक 12.1.89 को श्रीमती तुषा बत्तिन स्वनारायण बादल, श्रीमती तुषा बत्तिन बीरेन्द्र भार्गव, श्रीमती प्रतिभा भार्गव बत्तिन रमेश चन्द्र, 6

प्रवाप्ति अधिकारी
समाज परियोजनाएँ,
जयपुर

भूमि अधिनिबम अधिकारी
समाज विकास योजनाएँ,
जयपुर

श्रीमती अलका भार्गव पतिन वरेश भार्गव , श्रीमती पूर्णिमा भार्गव पतिन नरेंद्र कुमार भार्गव का क्लेम तुषा द्वारा हस्ताक्षरित क्लेम वन का बेश किया गया ।

प्राप्त क्लेम में अंकित है कि ख.नं. 25/262 का 4बीघा 03 बर्बिका ब खररा नम्बर 30 रकबा 09बीघा 19 बर्बिका कुल 19बीघा 13 बर्बिका रकबा 5 हिस्से दारान का व. डि. 1/10 से कुल का 1/2 अर्थात् 9बीघा 06 बर्बिका दर एक लाख रु० प्रति बीघा से राशि 932500/-, बक्का कूआ व अन्य 60,000/-, बक्का मकान 6 कमरे 6 हाल अलेटरीन बाथरूम आदि का 1/2 अन्व बक्का मकान जितमें 3 कमरे । हाल व लेटरीन आदि- 100000/-, वेड-बोथे अमरुद 10 बर्ष वार्षिक आय 100/-केपीटलाईज वेल्ड प्रति बूध 2000/- की दर से कुल बूध 10 कीमत 20,000/-, अनाब केपेडें की कीमत 15,000/-, कटेल के बूध की कीमत 2000/-, आम के 3 बूध की कीमत 7500/-, नींबू के 6 बूधों की कीमत 6000/- हेज की कीमत 500/- इस प्रकार कुल 1343500/- रु० की मांग की है ।

दिनांक 31.5.91 को बी.डी.अग्रवाल अभिमाष्क ने नरेंद्र कु.भार्गव की तरफ से एक क्लेम बेश किया जिसके अनुसार 7बीघा 2 बर्बिका 1/3 हिस्सा पार्थी ने अपना बताया है । जिसका क्लेम निम्नप्रकार बेश किया गया-भूमि की कीमत 800000/- प्रति बीघा से 1,35,00,000/-, कूआ की कीमत 50,000/-, बिजली की मोटर की कीमत 6,000/-, कूरे के अन्दर 4 इंच बोर 80 फुट गहरा कुल मूल्य सब लथाई 100/-प्रति फुट कुल 8000/- का 1/3 हिस्सा 2660/-, बार्डिंग की कीमत 417/-, 2 इंच का बार्डिंग 75 फुट 3000/-, फुटबाल की कीमत 26/-, कूरे में लोहे की तीली की कीमत 667/-, दो गार्डर 667/-, बिजली की धुमटी डि. 1/3 कीमत 3333/-, धुमटी में डेल्टा ऑटोस्टार्टर, रबीच बाक मीटर आदि डि. 1/3 राशि 1666/-, धुमटी से तार 7-22 का अर्थिंग तार सब लेबर चार्जज रु० 1500/- डि. 1/3 कीमत 500/-, बिजली के कनेक्शन चार्जज, डि. 1/3 की कीमत 3333/-, रिहा बगीचका मकान एक 9,60,000/-, कुकट बालन के 2 शेड की कीमत 8,95,200/-, एक शेड में 1200मूर्गियों के हिसाब से दोनो शेडों में 2400मूर्गिया है की कीमत 264000/-, एक शिब गुंदिर जिसका मूल्य जमीन के साथ ही है को मुक्त रखा जावे ।, बगीचा में वृक्ष की कीमत 5000/-, डोलरि की कीमत 20,000/- बेदखल करने पर 10,000/- प्रति माह आम से बंचित लगभग 2 बर्ष तक प्रति माह 10 हजार के हिसाब से 240000/- इसप्रकार कुल राशि 15956467/- की मांग की । अन्व में 30 प्रतिशत 15 प्रतिशत ब्याज की मांग की गई ।

दिनांक 31.5.96 को ही आलोक भार्गव की तरफ से क्लेम अनिल महता अभिमाष्क द्वारा बेश किया गया । उक्त क्लेम में 8बीघा 07 बर्बिका भूमि पार्थी ने स्वयं की बताया है । क्लेम में भूमि की कीमत 4537500/- प्रति बीघा के हिसाब से

प्रमाणित प्रतिलिपि

भूमि प्रकल्प अधिकारी
ग्राम विकास परियोजनाएँ
जयपुर

भूमि प्रकल्प अधिकारी
ग्राम विकास परियोजनाएँ
जयपुर

रू038051260/-, कुआ में हि. 1/3 की कीमत 50,000/- बिजली की मोटर राशि रू02000/-, 4इंच बोर 80फुट गहरा कुल मूल्य मय बोरिंग के 100/- प्रति फुट कुल 8000/- हि. 1/3 राशि 2666/-, बाईस बोरिंग हि. 1/3 राशि 417/- मोटर से पानी बाहर केने हेतु बाईस कीमत 3000/-, कटवात हि. 1/3 कीमत रू026/-, तांटे की सीपी कुए में हि. 1/3 कीमत 667/-, मोटर 2 हि. 1/3 कीमत 667/-, बिजली की घुमटी कीमत 3333/-, स्वीच बावत बोरहा कीमत 1666/-, घुमटी के तार रू0 500/-, बिजली के कनेक्शन का खर्चा रू0 3333/-, मकान 720000/-, बगीचा बेड-बोधी की कीमत 5698100/-, डोली की कुल कीमत 60,000/- हि. 1/3 राशि 20000/- उपरोक्त कारणों से अबाप्ति की कार्यवाही समाप्त की जावे भी अंकित किया गया ।

उपरोक्त क्लेम के बारे में जनरल विकास प्रा. धकरण अभिमाधिक का कथन है कि क्लेम बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा कर बेश किया गया है । क्लेम के बक्ष में सबूत में कोई दस्तावेजी सादक्यस्तुत नहीं किये गये है । बाजार दर के बारे में भी कोई सबूतबेश नहीं किये गये है । अतः क्लेम मान्य योग्य नहीं है ।

हमने क्लेम का अवलोकन किया और हम अभिमाधिक जाबिषा के कथन से सहमत है । क्लेम बहुत अधिक बेश किया गया । क्लेम के बक्ष में कोई ठोस दस्तावेजी सबूत बेश नहीं किये गये है अतः क्लेम मान्य नहीं है । जाबिषा द्वारा कोई तकमीना बेश नहीं किया गया ।

गुरुदमा नम्बर-252/88

छतरा नम्बर 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187

180/6282 की खातेदारी धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार दूला, छोट्ट, पन्दा कौम माली सा. देह की नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अबाप्ति अधिनियम के तहत धारा 9-10 के नोटिस खातेदार को 20.12.90 को जारी किये गये । दिनांक 1.6.91 को खातेदार दूला छोट्ट पुमान पन्दा की तरफ से क्लेम श्री रामधन्द्र अभिमाधिक द्वारा बेश किया गया । क्लेम में अंकित किया गया है कि कुल भूमि 18बाधा 18बिस्वा में प्रार्थीगण । ता 2 की खातेदारी में है । क्लेम में भूमि की कीमत 1500/- प्रति गज की दर से मांग की गई है । कुआ की कीमत दो लाख स्वधे मय बोरिंग के , घुमटी नग । 10,000/-, होद नग । 40,000/-, खेती नगर 2 -10,000/-, टाणा नगर । 30,000/-, बाईस सीमेंट 2000फिट कीमत 15,000/-, होदी नग 2 कीमत 6000/-, डोली 1500 x 5 x 5 कीमत 15,000/-, कुचा से 2000/--तालाना जब होती है कीमत 10,000/-, मकान बक्का 52x36फुट=1872बर्ग फीट कीमत 5लाख रु बधे ,मकान बक्का 52x31फुट=1612 बर्ग फीट कीमत 6लाख स्वधे, मकान बक्का 52x36फुट=1872दो मंजिल का + 1872=3744बर्ग फीट कीमत 10,00,000/-, मकान बक्का 52x33फीट=1716 बर्ग फीट राशि 5,00,000/-,

भूमि अबाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जबपुर

दुकाने नगर 8 प्रत्येक 20x10 फुट ईट व सीमेन्ट से बनी हुई - कीमत 12,00,000/-
 छप्पर व कच्चे घर नगर 12 कीमत ₹४४४ 1,20,000/-, बेड-बीधा की कीमत -
 कुल 1,25,000/- उक्त राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार 12 प्रतिशत 120 प्रतिशत
 9 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत राशि की मांग की गई। प्रार्थीगण के छः मुर्तों हेतु 1000
 ब.गज के मूखण्डों की मांग की गई। शिफ्टिंग चार्ज के व्यय में 20,000/-, मुकदमा चर
 हो रहे टक्के के बेटे मुआबजे की राशि, कर 5 प्रतिशत मुकदमा चर के व्यय की मांग की गई।
 जीवन निर्वाह के लिए 8 दुकाने आबंटित किये जाने हेतु क्लेम में मांग की गई।

दिनांक 12.6.91 को अशोक अग्रवाल की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश कर
 अवगत कराया कि उक्त भूमि अबाप्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी
 किये गये है अतः उक्त भूमि के अबाई वारित नहीं किये जाये।

जयपुर बिकास प्राधिकरण द्वारा राज.उप्य न्यायालय, जयपुर में अपील
 करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.4.96 को जजिद्रा/राज्य सरकार के पक्ष में
 निर्णय दिया गया है। न्याय हित में खातेदारों से क्लेम प्राप्त करने हेतु तीन प्रमुख
 दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं
 राष्ट्रदूत में दिनांक 13.6.96 को कराया गया। लेकिन अबाई लिखाने तक कोई
 भी खातेदार/हितधारी उबरिधित नहीं हुआ और न ही अन्य कोई क्लेम पेश किया।

जयपुर बिकास प्राधिकरण द्वारा खतरा नम्बर 180, 181, 183 एवं 187, 185,
 की भूमि पर स्थित तकसीने इस कार्यालय को प्रेषित किये गये जो निम्न प्रकार है:-
 खतरा नम्बर- 180-में स्थित मकान की कीमत राशि 101025/- एक लाख एक हजार
 पचिस रुपये मात्र। खतरा नम्बर - 181- में स्थित 1.मकान की कीमत 133543/-
 2.मकान- की कीमत- 96171/-, खतरा नम्बर 183-में स्थित कूआ की कीमत-31225/-
 खतरा नम्बर 185- में स्थित मकान की कीमत 107665/- एवं खतरा नम्बर - 187
 में स्थित मकान की कीमत- 113645/- उक्त राशिवां खातेदार/मालिक को देय है।

मुआबजा निर्धारण

जयपुर बिकास प्राधिकरण अभिभाषक का कथन है कि मुआबजा राशि
 24,000/-प्रति बीघा की दर तब की जाती है तो जयपुर बिकास प्राधिकरण को
 कोई आबप्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व इती न्यायालय द्वारा इस ग्राम की
 भूमि के आत-बात के क्षेत्र में 24,000/-प्रति बीघा की दर से अबाई वारित किये
 गये है जिसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा भी किया जा चुका है।


हमने जयपुर बिकास प्राधिकरण अभिभाषक को तुना हम यह शर मानते है
 कि उक्त मामले में भूमि की मुआबजा राशि 24,000/-प्रति बीघा की दर से दिया
 जाना उचित है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय
 भूमि की कीमत बढी थी।

भूमि अबाप्ति अधिकारी
 नगर बिकास परियोजनाएं,
 जयपुर

भूमि अबाप्ति अधिकारी
 नगर बिकास योजनाएं,
 जयपुर

हम भूमि के मुआबजे का निर्धारण तो 24,000/- प्रति बीघा की दर से तब करते है लेकिन मुआबजा राशि का मुआतान बिल्कि स्व से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । केन्द्रीय भूमि अधिपति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 23(1) एवं 23(2) के तहत मुआबजे की राशि पर निम्नानुसार 30 प्रतिशत तालेशिक्म एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त शुभार की राशि भी देव होगी ।

बह अर्बाई आज दिनांक 20.7.96 को वास्तु कर राज्य सरकार की अनुमोदनार्थ प्रेषित किशे जा रहे है।



भूमि अधिपति अधिकारी
भूमि अधिपति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

प्राप्त दिनांक 30.8.96 को राज्य सरकार के पत्र
पं. 6 (15) न. वि. का. 187 पं. जयपुर दिनांक 30.8.96 के
कारण में अर्बाई अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ जिसे सैर
अनुमोदन व्योजित किया जाता है अर्बाई की प्रतिनिधि सचिव
ज. वि. का. को मुआबजा राशि मिलाने हेतु प्रेषित है तथा
स्वातंत्र्य के द्वारा 12(2) के-डीन भूमि अधिपति अधिनियम
के तहत नोटिस जारी है।

30/8/96

प्रसारित प्रतिनिधि

नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर